कृषि उपज समिति, काँगड़ा जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017
भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना :-

कृषि उपज समिति ,काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1-04-201 5 से 31-03-201 7 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48.2 के प्रावधानों के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज समिति काँगड़ा में सचिव एवं आहरण व संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे :-

क्रम० सं	सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री एन० के० धीमान	20-05-11 से 10-08-15
2.	श्री रक्ष पाल	11-08-15 से 18-05-16
3.	श्री पी० एस० पठानिया	23-05-16 से 27-07-16
4.	श्री राजेश डोगरा	28-07-16 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं	पैरा सं	विवरण	राशि **लाखों में**
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों का पूर्ण मिलान न का करने के कारण अन्तर	2.34
2.	5(ख)	बैंकों द्वारा सावधि जमा पर कम ब्याज क्रेडिट करने बारे ।	.76
3.	6 .	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना।	224.55
4.	7 .	दुकानों के लम्बित किराये की वसूली न करना।	10.84
5.	8 .	मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित कमरों के किराये की वसूली न करना।	9.35
6.	9 .	मै० शिव शक्ति फ्रूट क० धर्मशाला से किराये की वसूली न करना।	3.68
7.	10 .	नगर निगम धर्मशाला से किराये का अनुबन्ध न करना किराया व सर्विस टेक्स न वसूलना	1.95
8.	11	मण्डी यार्ड काँगड़ा के प्लेटफार्म के उपर निर्मित छ:दुकानों को नियमानुसार आवंटन न करने व व्यापारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य करने बारे।	विवरणानुसार

9.	17.	व्यापारियों द्वारा आयातित नगों के तुलना में कम नगों पर मण्डी शुल्क वसूलने बारे।	विवरणानुसार
10.	23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का अधिक भुगतान।	2.35
11 .	24	आयकर विभाग के नाम असमायोजित राशि	234.57
12 .	28	अनुचित रूप से कम्प्यूटर की खरीद करने बारे।	1.63
13 .	28	मार्किट फीस का निर्धारण (अस्सेस्मेंट)न करने बारे।	विवरणानुसार

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज समिति ,काँगड़ा के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज समिति काँगड़ा के अवधि 1-04-15 से 31-03-17 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरिक्षण ,जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है ,श्री मुकेश कुमार स्नेही,अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27-04-17 से 16-06-17 तक के दौरान कृषि उपज समिति काँगड़ा स्थित कार्यालय में किया गया। आय के लिए माह 03/16 व 03/17 तथा व्यय के लिए माह 03/16 व 06/16 का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कृषि उपज समिति के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। कृषि उपज समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

कृषि उपज विपणन समिति काँगड़ा के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹287938/- आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग-शिमला-9 को भेजने हेतु, अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 142 दिनांक 16-06-17 द्वारा वर्तमान सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

कृषि उपज समिति काँगड़ा की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –ख(1 से 5)** में भी दिया गया है।

क्रम सं	विवरण	2015-16	2016-17
1.	प्रारम्भिक शेष	125802847-09	128053674-00
2.	प्राप्तियां/ आय	36420946-00	41901300-76
3.	अनुदान	-------	750000-00
4.	ब्याज	10823146-00	9858649-61
5.	कुल जोड़	173046939-09	180563624-37
6.	भुगतान/व्यय	44993265-09	44424421.96
7.	अन्त शेष	128053674-00	136139202-41

(ग) 31-03-17 को बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता न॰	राशि
1.	यू॰बी॰आई॰ काँगड़ा	391902010005999	8687347.11
2.	एच॰जी॰बी॰ वरंडा	0134055	3247797.90
3.	यू॰को॰ बैंक काँगड़ा	10230110013588	670669.00
4.	पी॰एन॰बी॰ पालमपुर	2934000103061146	791819.69
5.	पी॰एन॰बी॰ डमटाल	39194	1792381.92
6.	आई.डी.बी.आई. काँगड़ा	115910A000015084	407702.00
7.	आई.सी.आई.सी.आई. जसूर	374401000112	3258749.79
8.	सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि		116919996.00
9.	हस्तगत राशि		128468 .00
		कुल जोड़	**135904931.41**

अन्तर :- ₹136139202.41 – ₹135904931.41 =₹234271

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों से पूर्ण मिलान न करने के कारण₹2.34 लाख का अन्तर

कृषि उपज मण्डी समिति की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि **"परिशिष्ट-ख-6"** के अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तर का मिलान तो किया है परन्तु उन चैकों की सूचि अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई जिनको बैंक द्वारा 31-03-17 को भुगतान हेतु प्रस्तुत व आय की क्रेडिट नहीं किया है जिसके आभाव में समाधान विवरणी की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का पूर्ण मिलान नहीं किया गया था, दिनांक 31-03-17 को रोकड़बही व बैंक खातों में ₹234271/- का अन्तर पाया गया

अत: रोकड़बही व बैंक खातों का पूर्ण मिलान (चेक न०,दिनांक ,फर्म का नाम व राशि सहित)करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

5 निवेश :-

(क) कृषि उपज मण्डी समिति ,काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक सावधि जमा योजना में ₹**116919996** निवेशित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

(ख) बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ₹76427 कम ब्याज क्रेडिट करने बारे :-
सावधि जमा योजना से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधि जमा की राशियों पर कम ब्याज प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

दिनांक	सावधि सं /बैंक	राशि	दर	अवधि	अपेक्षित ब्याज	प्राप्त ब्याज	कम प्राप्त ब्याज
07-10-14	10230310038970 /uco	5000000	9.10%	1 साल	470764	447436	23328
24-11-14	064500pu00001405 /pnb	4000000	9%	1 साल	372333	352613	19720
25-07-15	3105947269/hgb	10901315	8.75%	1 साल	931044	907228	23816
31-07-15	87813105947366/hgb	3064427	8.75%	1 साल	261722	254972	6750
21-01-16	315937934/212823/ hgb	1427984	8.75%	1 साल	110149	107336	2813
					कुल प्राप्त कम ब्याज		**76427**

अत: देय ब्याज से कम प्रदान किए गए ब्याज की सम्बन्धित बैंको से वसूली हेतु समुचित पग उठाए जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹224.55 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 04/15 से 03/17 के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मार्किटिंग बोर्ड व विभिन्न विभागों के पास डिपाजिट वर्क के रूप में राशियाँ जमा करवाई गई जिसमें से कुछ एक प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क)2015-16

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ड्राफ्ट सं व दिनांक	राशि
1.	c/o providing c.c pavment chennel drain in open yard at G.M damtal	Through RTGS	1706639
2.	c/o drilling & dev of 150mm area dia deep bore at smy jaisinghpur	----do-----	200108
3.	c/o new office building ms,ar,at smy	-----do-----	2000000
4.	c/o site dev.calvert road rcc pavment at smy guler	-----do-----	403000
5.	C/O p/l c.c pavment in open yard G.M damtal	-----do-----	1251802

6.	c/o painting & distempering at smy palampur	----do-----	362992
7.	c/o p/l tilling upstair at apmc office kangra	-----do----	275000
8.	c/o 6 no shops at market yard kangra	------do-----	400000
9.	c/o boundary wall around the building leveling soiling of parking area smy n/bagwan	------do-----	470547
10.	E.I of 10 nos shops-cum-office & toilets block at smy fatehpur	----d0-------	200914
11.	c/o checkpost & covring of shed kiosk no.1 at smy palampur	------do------	112925
12.	C/O wire creates for protection at smy jaisingh pur	-------do-----	510904
13.	c/o E.I at smy palampur	-------do-----	429157
14.	c/o W.S.S.I at smy palampur	--------do-----	110641
15.	c/o W.S.S.I septic tank at smy mahunala (dharman)	--------do-----	156618
		जोड़	8591247

(ख)2016-17

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ड्राफ्ट सं व दिनांक	राशि
1.	Providing cgi sheets in front of 10 no"s shops at smy D/shala	Rtgs	400000
2.	c/o auction plateform sym jawali	Rtgs	1079951
3.	c/o toilets block damtal	Rtgs	47000
4.	c/o toilets block damtal	Rtgs	268088
5.	p/l c.c in open yard damtal	Rtgs	435362
6.	Laying of pipes at damtal	Rtgs	295152
7.	c/o 10 no"s godowns with labour huts at smy fatehpur	Rtgs	2483895
8.	c/o proposed veg&fruits market yard at fatehpur	Rtgs	2188126
9.	Road to yard fatehpur	Rtgs	1152607
10.	c/o road to yard at fatehpur	Rtgs	4000000
11.	c/o renovation of toilets of vip set 1 &room 2,3 of kissan bhawan icchi	Rtgs	368400
12.	EI in 10 no"s godown labour huts	Rtgs	342446
13.	c/o checkpost in &out gate at jassur	Rtgs	150000
14.	Toilets block for grain market damtal	Rtgs	230000
		जोड़	13864027
		कुल जोड़ (क+ख)	22455274

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करने हेतु सचिव,मण्डी समिति द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे है। मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में विशेषकर लाया जाता है। अत: उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभागों से शीघ्र प्राप्त कर इस विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया।

7 दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹10.84 लाख की वसूली न करना:-

किराये से सम्बन्धित मांग एवं एकत्रीकरण संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि उप सब्जी मण्डी जयसिंहपुर,धर्मशाला व ज्वालामुखी के निम्न वर्णित दुकानदारों से किराये के रूप में 31-03-17 को ₹1083615 वसूली हेतु लम्बित है जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज समिति,काँगड़ा किराये की वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। अत:निम्न विवरणानुसार लम्बित राशियों की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की वसूली उचित समय पर हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेशक ,हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,शिमला-2 के विशेष ध्यानार्थ भी आवयश्क एवं उचित कार्यवाई हेतु लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि		राशि
1.	मै० लक्ष्मी शिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 1 जयसिंहपुर	1193	7/05 से 6/08	36 मास	42948
	---यथोपरि ----	1312	7/08 से 6/11	36 मास	47232
	---यथोपरि ----	1443	7/11 से 11/11	5 मास	7215
2.	मै० शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 2 जयसिंहपुर	1193	10/04 से 9/07	36 मास	42948
	---यथोपरि ----	1312	10/07 से 9/10	36 मास	47232
	---यथोपरि ----	1443	10/10 से 11/11	14 मास	20202
3.	मै० तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 जयसिंहपुर	1193	9/04 से 8/07	36 मास	42948
	---यथोपरि ----	1312	9/07 से 8/10	36 मास	47232
	---यथोपरि ----	1443	9/10 से 11/11	15 मास	21645
4.	मै० सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न० 4 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08	36 मास	42948
	---यथोपरि ----	1312	6/08 से 5/11	36 मास	47232
	---यथोपरि ----	1443	6/11 से 11/11	6 मास	8658
5.	मै० ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न० 5 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08	36 मास	42948
	---यथोपरि ----	1312	6/08 से 5/11	36 मास	47232
	---यथोपरि ----	1443	6/11 से 11/11	6 मास	8658
6.	मै० जानू फ्रूट कम्पनी	1193	8/05 से 7/08	36	42948

	दुकान न० 6 जयसिंहपुर			मास	
	---यथोपरि ----	1312	8/08 से 7/11	36 मास	47232
	---यथोपरि ----	1443	8/11 से 11/11	6 मास	5772
7.	मै० अरविन्द जग्गी कैंटीन	500	9/04 से 8/07	36 मास	18000
	---यथोपरि ----	550	9/07 से 8/10	36 मास	19800
	---यथोपरि ----	605	9/10 से 11/11	15 मास	9075
8.	मै० बादशाह फ्रूट कम्पनी बूथ न० 2 जयसिंहपुर	700	9/04 से 8/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ----	770	9/07 से 8/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ----	847	9/10 से 11/11	15 मास	12705
9.	मै० हरीश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 3 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ----	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ----	847	10/10 से 11/11	15 मास	11858
10.	मै० गणेश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 4 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ----	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ----	847	10/10 से 11/11	15 मास	11858
11,	मै० शिवा फ्रूट कम्पनी बूथ न० 5 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ----	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ----	847	10/10 से 11/11	15 मास	11858
12.	मै० हरिकृष्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न० 6 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ----	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ----	847	10/10 से 11/11	15 मास	11858
1.	मै० जय हनुमान फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 ज्वालामुखी	2370	7/13 से 05/14	11मास	26070
2.	मै० पी.ऍफ़.सी. दुकान न० 2 ज्वालामुखी	2370	1/15 से 03/15	3मास	7110
1.	मै० शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 2 जयसिंहपुर	1587	04/16 से 3/17	12मास	19044
2.	मै० बादशाह फ्रूट कम्पनी बूथ न० 2 जयसिंहपुर	932	04/16 से 3/17	12मास	11184
3	मै० गणेश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 4 जयसिंहपुर	932	04/16 से 3/17	12मास	11184
4	मै० हरिकृष्णफ्रूट कम्पनी बूथ न० 6	932	04/16 से 3/17		11184

	जयसिंहपुर		12मास	
5.	बूथ न० -2 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	09/15 से 15-10-15	1500
6.	बूथ न० -3पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	07/15 से 15-10-15	3500
7.	बूथ न० -4पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	07/15 से 15-10-15	3500
8.	बूथ न०-10पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	09/15 से 15-10-15	1500
9.	बूथ न०-11 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	09/15 से 15-10-15	1500
10	बूथ न०- 12 पालमपुर (नाम नहीं दर्शाया है)	1000	08/15 से 15-10-15	1500
			कुल जोड़	**1083615**

8 मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित छः कमरों के किराये₹ 9.35 लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि मार्किट यार्ड काँगड़ा में दुकानों के उपर छः कमरों का निर्माण किया गया है तथा कृषि उपज समिति की दिनांक 25-04-07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार माह 5/07 से प्रत्येक दुकानदार से ₹1200 मासिक दर से तथा प्रत्येक तीन वर्ष उपरान्त 10% वृद्धि के साथ किराया वसूलना अपेक्षित था परन्तु कृषि उपज समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार किराया **₹ 934554 की** कम वसूली की गई है।

व्यापारी का नाम	**मासिक किराया**	**अवधि**	**राशि**	**31-03-17 तक वसूली राशि**	**31-03-17 को वसूली योग्य शेष राशि**
मै० लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200	---	-----
	1320	5/10 से 4/13 36 मास	47520		
	1452	5/13से 4/16 36 मास	52272		
	1597	5/16से 3/17 11मास	17567		
		कुल जोड़	160559	4800	155759
मै० कुलजीत फ्रूट कम्पनी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200	---	-----
	1320	5/10 से 4/13 36 मास	47520		
	1452	5/13से 4/16 36 मास	52272		
	1597	5/16से 3/17 11मास	17567		
		कुल जोड़	160559	4800	155759
मै० हिमाचल फ्रूट कम्पनी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200	---	-----
	1320	5/10 से 4/13 36 मास	47520		
	1452	5/13से 4/16 36 मास	52272		
	1597	5/16से 3/17 11मास	17567		
		कुल जोड़	160559	4800	155759
मै० मनोहरसिंह	1200	5/07 से 4/10 36	43200	---	-----

फ्रूट कम्पनी		मास			
	1320	5/10 से 4/13 36 मास	47520		
	1452	5/13 से 4/16 36 मास	52272		
	1597	5/16 से 3/17 11मास	17567		
		कुल जोड़	160559	4800	155759
मै० कृष्णा फ्रूट क.	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200	---	-----
	1320	5/10 से 4/13 36 मास	47520		
	1452	5/13 से 4/16 36 मास	52272		
	1597	5/16 से 3/17 11मास	17567		
		कुल जोड़	160559	4800	155759
मै० काँगड़ा फ्रूट एजेंसी	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200	---	-----
	1320	5/10 से 4/13 36 मास	47520		
	1452	5/13से 4/16 36 मास	52272		
	1597	5/16से 3/17 11मास	17567		
		कुल जोड़	160559	4800	155759
				कुल जोड़	**934554**

9 मैसर्ज शिव शक्ति फ्रूट क०दुकान न०10 धर्मशाला से ₹3.68 लाख के किराये की वसूली न करना :-

अंकेक्षण द्वारा सब्जी मण्डी धर्मशाला के किराये के मांग व प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा अवधि 7/13 से 06/14 तक ₹46000/- की मासिक दर से किराये की कुल ₹506000/- की बकाया राशि को वसूलना शेष था। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं 112 दिनांक 09-05-17 द्वारा सचिव मण्डी समिति को अवगत करवाया गया। सचिव ,मण्डी समिति द्वारा उनके पत्र संख्या के.एम.सी.3/ऑडिट/2015-16 -246 दिनांक 31-05-17 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त फर्म की जमानत के रूप में ₹ 276000/- की राशि रसीद सं 46591 दिनांक 27-02-12 द्वारा कार्यालय में जमा है व अब उक्त फर्म से केवल (506000-276000) ₹230000/-की वसूली शेष बनती है अंकेक्षण द्वारा मामले की पुन: जाँच करने पर पाया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति के उप नियम 2007 की धारा 62(xxxii) के अनुसार दुकानों की कुल जमानत राशि का 50% ही भुगतान सम्बन्धित फर्म को भुगतान करना अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त फर्म से शेष किराये की वसूली 230000/- के स्थान पर ₹368000/-की वसूली शेष बनती है। जिस बारे

अंकेक्षण अधियाचना सं 141 दिनांक 13-06-17 द्वारा सचिव मण्डी समिति को पुन: अवगत करवा दिया गया है। उक्त राशि को उत्तरदायी से तुरन्त वसूल कर मण्डी निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 सब्जी मण्डी धर्मशाला के उपर निर्मित भवन को नगर निगम धर्मशाला को आवंटित करने के फलस्वरूप किराये का अनुबंध न करना व ₹1.43 लाख किराये व ₹0.51 लाख सेवाकर के रूप में न वसूलना:-

अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि नगर निगम धर्मशाला को सब्जी मण्डी धर्मशाला के उपर निर्मित भवन को कार्यालय उपयोग हेतु मासिक किराये ₹ 28624+सर्विस टेक्स(जून 16 तक 14.5%व 3/17 तक 15 %) पर माह 3/16आवंटित की गई। परन्तु इस सम्बन्ध में नगर निगम धर्मशाला से न कोई अनुबंध किया गया व न ही किराये की राशि व सर्विस टेक्स को वसूला जा रहा था। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं 125 दिनांक 26-05-17 के माध्यम सचिव,मण्डी समिति को उक्त राशि को वसूलने हेतु अवगत करवाया। मण्डी समिति काँगड़ा, द्वारा नगर निगम धर्मशाला से उक्त भवन के किराये का अनुबन्ध नहीं किया गया और उनके पत्र सं के.एम.सी.2-10/07-बोल-वी.-314 दिनांक 13-06-17 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि नगर निगम द्वारा चेक सं 024203 दिनांक 07-06-17 द्वारा ₹200000/- बतौर किराये के पार्ट में भुगतान किया गया है जिसके मध्य नजर उक्त अधियाचना को रद्द किया जाए। उत्तर मान्य नहीं है क्यूंकि अभी भी अवधि 04/16 से 03/17 तक (343488-200000)= ₹143488 किराये व ₹51096 की राशि बतौर सेवाकर के वसूलने शेष है। मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11 प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के प्लेटफार्म के ऊपर निर्मित छ: दुकानों का नियमानुसार आवंटन न करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को किराये के रूप में हानि व दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्य करने बारे :-

वाउचर सं 172 माह 09/15 की जाँच करने पर पाया गया कि प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के प्लेटफार्म के उपर छ: दुकानों के निर्माण हेतु अन्तिम बिल के लिए ₹400000/- का भुगतान मार्केटिंग बोर्ड को किया गया है व सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा अंकेक्षण को चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति की बैठक दिनांक 04-07-16 की मद सं -7 के अनुसार उक्त दुकानों का आवंटन खुली बोली से नियमानुसार करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं 131 दिनांक 05-06-17 द्वारा सचिव,मंडी समिति से यह जानकारी मांगी गई कि उक्त दुकानों का आवंटन कर दिया गया है या नहीं ?अगर आवंटन किया तो किराया लगाया है या नहीं ?अगर आवंटन नहीं किया है तो देरी का कारण ?इन दुकानों में किसी दुकानदारों द्वारा कार्य किया जा रहा है या कब्जा किया हो ?परन्तु सचिव मंडी समिति द्वारा इस बारे कोई उत्तर नहीं दिया गया। उक्त अधियाचना के उपरान्त कई और विषय पर जारी अधियाचनाओ का सचिव द्वारा उत्तर दिया गया परन्तु उक्त अधियाचना का उत्तर सचिव मण्डी समिति द्वारा नहीं दिया गया ।जबकि उक्त दुकानों का निर्माण मण्डी समिति के कार्यालय से 20

मीटर की दूरी पर किया गया है जिससे अंकेक्षण को यह मामला गम्भीर व संधिग्ध प्रतीत हुआ। निष्पादन अंकेक्षण (performance audit) के आधार पर जाँच करने पर पाया गया कि इन दुकानों में दुकानदारों द्वारा कार्य किया जा रहा है व दुकानों में कब्जा भी किया गया है व दुकानों पर नाम इत्यादि भी लिखे गए है जबकि न ही दुकानों का कोई आवंटन किया गया है न ही कोई किराया की वसूली की जा रही है जिससे मण्डी समिति को वित्तीय हानि हो रही है जो कि अति गम्भीर मामला है। यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति द्वारा व्यापारियों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया है मामला **कृषि, विभाग के उच्च अधिकारीयों , व प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड शिमला** के विशेष ध्यान में आवयश्क कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अत: दुकानों का आवंटन नियमानुसार न करने व दुकानदारों द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य करने पर मण्डी समिति द्वारा कोई कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त मामले की उच्च स्तरीय विभागीय जाँच करके की गई पूर्ण कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

12 पंजीकृत व्यापारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना :-

परिशिष्ट "घ " में वर्णित व्यापारियों की माह 03/16 व 03/17 के "ओ" फार्मो की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा उनके नाम के विरुद्ध दर्शाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्शाया है,जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बन्धित "ओ" फार्म के अवलोकन से विदित होता है। इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में "शून्य" दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं? उक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण हेतु किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा "ओ" में की गई घोषणा के आधार पर मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है। जो की उचित प्रक्रिया नहीं है। अत: सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में निति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतु टाल –मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थितिमें प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड शुल्क सहित मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

13 पंजीकृत व्यापारियों द्वारा "ओ" फार्म पर वस्तु की किस्म प्रमात्रा/वजन,रेट इतियादी न दर्शाना :-

परिशिष्ट "ड." में वर्णित व्यापारियों के माह 03/16 व 03/17 के "ओ" फार्म की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा "ओ" फार्म में वस्तु की किस्म ,प्रमात्रा/वजन व रेट इत्यादि पूर्ण विवरण नहीं दर्शाया गया है।जबकि ओ फार्म में सभी कालम विहित है। इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में विना किस्म,प्रमात्रा/वजन व रेट दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं? व मण्डी समिति द्वारा ओ फार्म विना पूर्ण विवरण के स्वीकृत किए जा रहे है। इस प्रकार वसूले गए मण्डी

शुल्क की प्रमाणिकता तथा वैधता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। उक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण हेतु किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा "ओ" में दर्शाए गए कुल मूल्य आधार पर मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है,जबकि हो सकता है कि व्यापारियों द्वारा फार्म ओ में कम मूल्य दर्शाया गया हो। जो की उचित प्रक्रिया नहीं है। अत: "ओ" फार्मो को विना पूर्ण विवरण के वसूल करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए भविष्य में व्यापारियों से "ओ" फार्म पूर्ण विवरण सहित वसूल करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अत्यंत विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में सम्भावित हानि का होना :-

मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों के माह 3/16 व 3/17 के "ओ" फार्म की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार करने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है और मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कई-कई महीने का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया हैजबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 35 के अनुसार मण्डी फीस को 14 दिन के अन्दर वसूलना अपेक्षित है जैसा कि **परिशिष्ट "च"** में दिए गए विवरणों से स्पष्ट होता है कि कुछ व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली 6 माह से अधिक समय के पश्चात की गई है। इस प्रकार विलम्ब से वसूली मण्डी शुल्क से अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज की हानि हुई है यदि यथासमय पर मण्डी शुल्क वसूला गया होता तो राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को आय प्राप्त हो सकती थी। भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली समय पर की जाए तथा विलम्ब की स्थिति में समस्त सलिंप्त मामलों में यथा प्रावधानानुसार दण्ड शुल्क सहित ही मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

15 सब्जी मण्डी पालमपुर के तुलनात्मक सब्जी मण्डी जसूर व काँगड़ा द्वारा कम आय अर्जित करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार सब्जी मण्डीयों की वर्ष वार आय अर्जित की गई। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सब्जी मण्डी पालमपुर के तुलनात्मक जसूर व काँगड़ा की मंडियों की कम आय अर्जित की गई है जबकि पालमपुर क्षेत्र के अंतर्गत न ही कोई स्थानीय सब्जी का उत्पादन व न ही कोई सीजन लगता है इसके विपरीत जसूर मण्डी काँगड़ा की सबसे बड़ी मण्डी है जिसमे स्थानीय सब्जी के अतिरिक्त आम,संतरा,किनु,लिच्ची,निम्बू की व्यापक पैदावार व सीजन लगता है व बरसात के सीजन में करेले,व खीरे की दोहरी (सुबह व शाम)मण्डी लगती है तथा काँगड़ा सब्जी मण्डी में किसानो द्वारा स्थानीय सब्जी आम व लिच्ची की व्यापक पैदावार व मण्डी की जाती है। इसके अतिरिक्त चैक पोस्टों के आयात विवरणियों के अनुसार जसूर व काँगड़ा के मण्डी व्यापारियों द्वारा व्यापक स्तर पर बाहर से फल व सब्जी का आयात भी किया जाता है जबकि सब्जी मण्डी पालमपुर , काँगड़ा व जसूर में क्रमशः 24,34 व 28 दुकाने है,इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी

पाया गया कि जसूर मण्डी जो की काँगड़ा की सबसे बड़ी मण्डी है में कोई भी नीलामी कर्ता को तैनात नहीं किया है जिसके आभाव में मण्डी में व्यापार की नीलामी भी दर्ज नहीं की जा रही है उपरोक्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सब्जी मंडी जसूर व काँगड़ा के मण्डी व्यापारियों द्वारा कम मण्डी शुल्क का भुगतान किया जा रहा है जिसकी जाँच,मण्डी समिति व अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा रही है व व्यापारियों को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया जा रहा है। मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता है ताकि विभागीय जाँच करते हुए व्यापारियों से वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

मण्डी यार्ड का नाम	2015-16 में अर्जित आय	2016-17 में अर्जित आय	मण्डी में दुकानों की संख्या
पालमपुर	2014040	2144045	24
जसूर	1852451	1989926	28
काँगड़ा	1561633	1763577	34

16 प्रिंसिपल मार्किट यार्ड काँगड़ा के नीलामी रजिस्टर में नीलामी प्रक्रिया न दर्ज करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में माह 03/16 में प्रधान यार्ड काँगड़ा के निलामी कर्ता द्वारा यार्ड में व्यापारियों द्वारा किए गए सब्जी-फल की निलामी की राशियों/प्रक्रिया को निलामी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि सम्बन्धित नीलामीकर्ता न ही छुट्टी पर थे व न ही किसी अन्य कार्य में कार्यरत थे व न ही इसकी जाँच मण्डी समिति द्वारा या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

17 सब्जी व फल के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा उनके द्वारा आयातित नगों की तुलना में कम नगों पर मण्डी शुल्क भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि फल व सब्जी के पंजीकृत फर्म/व्यापारियों के उनके द्वारा आयातित फल व सब्जी के नगों का मूल्य चैक पोस्टों पर दर्ज नहीं किया जा रहा है केवल नग दर्ज किए जा रहे है जैसा की गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं 16 व निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा समय-समय पर मण्डी समिति को सूचित किया जाता रहा है, वर्तमान अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखितविवरणानुसार कुछ फर्म /व्यापारियों के "क्यू" फार्मो की जाँच करने पर पाया गया कि उनके द्वारा आयातित नगों की तुलना में व्यापारियों द्वारा कम नगों को दर्शाकर कम मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया है, जिसकी जाँच मण्डी समिति व बोर्ड के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं की जा रही है।

फर्म का नाम	माह	चैक पोस्ट से आयातित	नग जिनपर मण्डी	शेष नग जिनपर

नाम		नग	शुल्क का भुगतान किया गया	मण्डी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया
मै०पंकज फ्रूट कम्पनी काँगड़ा	03/16	8485	2935	5550
यथोपरि	03/17	11280	3520	7760
मै० त्रिशा फ्रूट कम्पनी काँगड़ा	03/16	5388	1070	4318
यथोपरि	03/17	5180	1508	3672
मै० रीत फ्रूट कम्पनी बैजनाथ	03/16	8029	6232	1797
यथोपरी	03/17	10527	6834	3693
यंग फार्मर सोसाइटी धर्मशाला	03/16	5639	4360	1279
	03/17	**6485**	**3266**	3219

उक्त के सन्दर्भ में अंकेक्षण को ऐसा प्रतीत होता है कि फल व सब्जी के व्यापारियों द्वारा क्यू फार्म पर कम मात्रा दर्ज कर बहुत ही कम मण्डी शुल्क का भुगतान किया जा रहा है जिसकी जाँच मण्डी समिति द्वारा नहीं की जा रही है व न ही फल व सब्जी के व्यापारियों की अस्सेस्मेंट की जा रही है जबकि वर्ष 2013-14 के अस्सेस्मेंट करने उपरान्त फल व सब्जी के व्यापारियों से उक्त के आधार पर **₹** 857752 की वसूली की गई थी मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता है , अंकेक्षण द्वारा कुछ ही व्यापारियों के क्यू फार्मो की जाँच की जा सकी थी। अत: सभी यार्डो के सभी सब्जी व फल व्यापारियों के क्यू फार्म की जाँच संस्था स्तर करके उनकी अस्सेस्मेंट करने उपरान्त बकाया मण्डी शुल्क को दण्ड शुल्क सहित वसूल किया जाए व की गई कार्यवाही से तथ्यों सहित इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

18 पंजीकृत कत्था व्यापारियों से बिना वन विभाग के परमिट के मार्किट फीस वसूली बारे:-

अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखितविवरणानुसार कत्था व्यापारियों की वर्ष 2015-16,2016-17 की पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उनके द्वारा ओ फार्म के साथ वन विभाग द्वारा जारी परमिट की छायाप्रति सलग्न नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त ओ फार्म में दर्शाई गई कत्थे की प्रमात्रा व रेट को सम्बन्धित प्रभारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया जिसके आभाव में वसूली मण्डी शुल्क की प्रमाणिकता व सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। बिना परमिट के मण्डी शुल्क वसूली व

कत्थे की प्रमात्रा व दर को सम्बन्धित प्रभारी द्वारा सत्यापित नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में वन विभाग के परमिट के आधार पर मण्डी शुल्क वसूलना सुनिश्चित किया जाए।

फर्म का नाम	**ओ फार्म न०**	**दिनांक**	**कत्थे की मात्रा**	**दर**	**कुल राशि**	**मण्डी शुल्क**
मैसर्ज प्रिया कत्था उद्योग चिंतपूर्णी	91955	25-03-16	276 क्विंटल	27900/-प्रति क्विंटल	7700400	77004
पठानिया कथा उद्योग जसूर	91905	26-03-16	316 क्विंटल	26000/-प्रति क्विंटल	8216000	82160
मैसर्ज प्रिया कत्था उद्योग चिंतपूर्णी	6091456	30-03-17	दर्शाई नहीं है	दर्शाई नहीं है	8428000	84280
पठानिया कथा उद्योग जसूर	030806	30-03-17	254 क्विंटल	33100/-प्रति क्विंटल	8407400	84074

19 चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित फल व सब्जी का मूल्य न दर्शाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को वित्तीय रूप से हानि बारे :-

चैक पोस्टों की माह 03/1 6व 03/17 की आयात व निर्यात विवरणियों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित फल व सब्ज़ी का मूल्य चैक पोस्टों पर दर्ज नहीं किया जा रहा है केवल फल व सब्जी के नग/मात्रा ही किए जाते है है चैक पोस्ट कंडवाल पर केवल मै० रमेश चंद अमृतसर से जो फल ,सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयात किया जाता है केवल उनका ही मूल्य चैक पोस्ट कंडवाल पर दर्ज किया जाता है जबकि अमृतसर या जालन्धर व पंजाब,दिल्ली के अन्य व्यापारियों से जो पंजीकृत सब्जी व फल के व्यापारियों द्वारा सामान आयात किया जाता है उनका कुल मूल्य चैक पोस्टों पर दर्ज नहीं किया जाता है एक ही स्थान से आयातित फल व सब्जी में केवल एक व्यापारी का मूल्य दर्ज करने व बाकि का न करना तर्क संगत नहीं है अंकेक्षण के दौरान जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-13 व 2013-14 तक जब दोनों चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों का मूल्य दर्ज किया जाता था तो इसी आधार पर ₹317780/- की राशि अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अधियाचनाओं के द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा वसूली की गई तथा ₹ 109700/- के वसूली के मामले शेष है जिनका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2013-14 के पैरा सं 9 व 13 में विस्तारपूर्वक दिया गया है।इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि चैक पोस्टों पर जो नग दर्ज किए जाते है उनके अनुसार भी मण्डी शुल्क नहीं वसूला जा रहा है **(सम्बन्धित पैरा -17),** उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह एक अति गम्भीर मामला है व मण्डी समिति द्वारा फल व सब्जी व्यापारियों को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाया जा रहा है जिससे मण्डी समिति को वित्तीय रूप से हानि हो रही है। मामला उच्च अधिकारीयों व हि०प्र० मार्किटिंग बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के ध्यान में हेतु लाया जाता है।

20 (क)कार्य का नाम :- covring of shed for kiosks no-1 with brick wall & p/f rolling shutter at palampur

सविदाकर का नाम :-Sh.Ram Janam Singh

अवार्ड पत्र सं :-HPSAMB.A.E.kangra/15-1023 dt.18-09-15

वा.माह् व राशि :- 364 dt.29-03-16 ₹ 45171/-

माप पुस्तिका :- 14175 पृष्ट 4 से 11

(क) अवार्ड पत्र की शर्त 2 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य का अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस कार्य का अनुबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य की मद सं 1 (brick work) की गणना 2.96m3 बनती थी व जिसके लिए ₹5500 की दर से कुल ₹16280 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि इस मद का ₹16448 का भुगतान किया गया इस प्रकार ₹168 अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके मण्डी निधि में जमा जमा करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्य को दिनांक 18-09-15 को उक्त ठेकेदार को अवार्ड किया गया था व उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय अवधि 1 महीने बाद यानि 02-11-15(15 दिन जोड़ कर) तय किया गया था माप पुस्तिका अनुसार अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य 06-12-15 को देरी से समाप्त किया गया अवार्ड पत्र की शर्त 2 अनुसार विपणन बोर्ड की जनरल शर्त अनुसार अगर कार्य देरी से समाप्त किया जाता है तो कुल मूल्य(₹45171 का 10% ₹4517 दण्ड शुल्क के रूप में वसूलना अपेक्षित था जो की नहीं वसूला गया, इस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

21 कार्य का नाम :- c/o check post at regulated market yard at palampur

सविदाकर का नाम :-Sh.Ram Janam Singh

अवार्ड पत्र सं :-HPSAMB.A.E.kangra/15-1019 dt.18-09-15

वा.माह् व राशि :- 365 dt.29-03-16 ₹ 69059/-

माप पुस्तिका :- 14175 पृष्ट11 से 16

(क) अवार्ड पत्र की शर्त 2 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य का अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस कार्य का अनुबन्ध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: अनुबन्ध न प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य को दिनांक 18-09-15 को उक्त ठेकेदार को अवार्ड किया गया था व उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय अवधि 2 महीने बाद यानि 02-12-15(15 दिन जोड़ कर) तय किया गया था माप पुस्तिका अनुसार अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य 18-01-16 को देरी से समाप्त किया गया अवार्ड पत्र की शर्त 2 अनुसार विपणन बोर्ड के अन्य निर्माण कार्य की जनरल शर्त अनुसार अगर कार्य देरी से समाप्त

किया जाता है तो कुल मूल्य(69059) 10%राशी यानि ₹6906/- दण्ड शुल्क के रूप में वसूलना अपेक्षित था जो की नहीं वसूला गया व सविदाकार को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया गया जो की अनुचित था । अत : ₹ 6906/- दण्ड शुल्क की राशि उत्तरदायी से वसूल कर मण्डी निधि में जमा किए जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में ₹2.35 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान व्यय बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार कर्मचारियों को ₹ 235023/- का अधिक भुगतान किया गया :-

(क) जाँच के दौरान वाउचर सं : 73(i,ii) माह 06/16 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री प्रताप पठानिया,सुपरवाइजर को उनकी बेटी व पत्नी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा के लिए कुल ₹9840/-(6749+3091) का भुगतान किया गया। जबकि Lotion व cream पर किया गया ₹ 2273/- का भुगतान केन्द्रीय सेवाएँ चिकित्सा नियम के उप नियम परिशिष्ट 16 के अनुसार उचित नहीं था । जबकि ₹9840 के स्थान पर ₹7567/- का भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹2273/- का सम्बन्धित कर्मचारी को अधिक भुगतान किया गया।

(ख) वाउचर सं 317 माह 2/17 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री विपिन कुमार,कनिष्ट सहायक को 301128/- का भुगतन किया गया है,जिसमे से उक्त कर्मचारी को दो stents के लिए ₹280000/- का भुगतान किया गया है जबकि भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडोम सं:misc.1002/cghs(R&H)cghs(P)dated 29-04-14 के अनुसार प्रत्येक stents का भुगतान ₹23625/-(सभी कर सहित)की दर से कुल ₹47250 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार ₹232750/- का सम्बन्धित कर्मचारी को अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹232750 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित किया जाए।

23 आयकर विभाग के नाम असमायोजित ₹134.57 लाख का दर्शाना:-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि आयकर विभाग को दी गई ₹13456634 असमायोजित दर्शाई गई है। इस प्रकरण में अंकेक्षण द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि समय-समय पर आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271(1)(c) मण्डी समिति की आय पर लगाये गए कर से सम्बन्धित है। यह राशि 2002 से 2008 के दौरान की है। चूँकि आयकर अधिनियम की धारा 10(एएबी) के अन्तर्गत विपणन समितियों/बोर्ड की आय को दिनांक 1-04-09 से करमुक्त कर दिया गया है। अत: दिनांक 1-04-2009 के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा कोई भी आयकर अदा नहीं किया गया है। अत: उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में ला कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 गाड़ी न० HP-40-9594 जिप्सी से की यात्रा कि पूर्व अनुमति न प्राप्त करना :-

अंकेक्षण के दौरान उक्त गाड़ी की लाग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि क्रम सं 174 दिनांक 26-12-16 को उक्त गाड़ी से काँगड़ा से शिमला व वापिसी कुल 525 किलोमीटर की यात्रा की अनुमति,प्रबन्ध निदेशक ,मार्केटिंग बोर्ड शिमला से प्राप्त नहीं की गई है जबकि नियमानुसार जिला से बाहर सरकारी गाड़ी से यात्रा के पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित था। उक्त यात्रा की अनुमति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त यात्रा की अनुमति अब प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न की जाए।

25 अनुचित रूप से कम्प्यूटर की खरीद बारे :-

वाउचर सं 125 माह 07/16 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹163500/- का भुगतान मै० देवान इंटरप्राइजेज संजौली को 3 कम्पयूटर ,3 लेज़र प्रिंटर 3 ही यूपीएस क्रय करने हेतु उनके बिल सं 1906 दिनांक 04-06-16 के सन्दर्भ में भुगतान किया गया जिसमे निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदाएँ अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की गई दरो की सत्यता पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। सम्बन्धित प्रभारी द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया की इस सम्बन्ध में निविदाओं सम्बन्धी औपचारिकताएं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा करवाई गई है।

(ख) सचिव मण्डी समिति,काँगड़ा द्वारा सप्लाई आर्डर सं: केएमसी4-10/07खण्ड-1-292 dt 04-6-16 सम्बन्धित फर्म को प्रेषित किया व मण्डी समिति द्वारा भुगतान भी सम्बन्धित फर्म को किया गया तो निविदाएँ प्रबन्ध-निदेशक मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किस आधार पर आमंत्रित की गई स्पष्ट किया जाए।

(ग) यह खरीद हि0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन से की जानी अपेक्षित थी।

(घ) इस खरीद के सम्बन्ध में मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा मार्केटिंग बोर्ड को कोई भी मांग पत्र व कमेटी का प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

अत: उक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 दी होशियारपुर जिला सहकारी दूध उत्पादन यूनियन से ₹ 518/- कम मण्डी शुल्क वसूलने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार उक्त संस्था से कम मण्डी शुल्क वसूला गया जिसकी वसूली उक्त संस्था से तुरन्त करके मण्डी निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ओ फार्म सं व दिनांक	अवधि	कुल राशि	मण्डी शुल्क जो बनता था	वसूला शुल्क	कम मण्डी शुल्क (₹)
485318,10-01-17	12/16	1766528	17665	17490	174
485320,27-02-17	1/17	1745276	17453	17280	173
485319,10-03-17	2/17	1722399	17224	17053	171
				कुल जोड़	**518**

27 किसान विश्राम ग्रह ,ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे :-

अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि धर्मशाला में किसान विश्राम ग्रह का निर्माण किया गया है तथा विश्राम ग्रह के लिए पूर्ण सामान का क्रय भी किया गया है ,परन्तु समिति द्वारा किसान विश्रामग्रह का संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे लाखों रूपए की लागत से निर्मित विश्रामगृह तथा उनके द्वारा ख़रीदे गए सामान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अत: सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्रामगृहों को कार्यन्वयन हेतु उचित पग उठाये जाएँ ताकि कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके।

28 मार्किट फीस के निर्धारण (अस्सेस्मेंट) करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :एम०के० काँगड़ा-वृत्त 17/- 105 दिनांक:-01-05-17 द्वारा सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा से वर्ष 2015-16, 2016-17 की असैसमेन्ट से सम्बन्धित अभिलेख आवयश्क जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रसुत करवाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु सम्बन्धित प्रभारी द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त अवधि की व्यापारियों की मार्किट फीस की अस्सेस्मेंट नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकिय उपज विपणन विधयेक 2005 की धारा 61(3) के अनुसार नियमानुसार 30जून तक में प्रत्येक इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकिय उपज विपणन विधयेक 2005 की धारा 61 के अनुसार असैसमेन्ट की जानी अपेक्षित है जबकि मंडी समिति द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऑडिट द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013-14 की अस्सेस्मेंट करने उपरान्त मण्डी समिति ने ₹857752 की बकाया मण्डी शुल्क को वसूला गया था। अत: सुझाव दिया जाता है कि असैसमेन्ट उपरान्त बकाया मार्किट फीस की भी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

29 अंकेक्षण के दौरान उठाई गई गम्भीर आपत्तियों पर चर्चा बारे:-

सचिव , मंडी समिति द्वारा अंकेक्षण आपत्तियों पर चर्चा करने से इंकार किया गया जोकि वित्तीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुये उचित नहीं है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

30 लघु-आपत्ति विवरणिका:- यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

31 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप–निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला –171009
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याःफिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 76 / 84 खण्ड–10–7173–7175 दिनांक11.12.2017 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

पंजीकृत

1 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़.ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 प्रबन्ध निदेशक, हि0र्प0 कृषि विपणन बोर्ड भवन खलीनी शिमला

3 अवर, सचिव (कृषि) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप–निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला –171009
0177–2620881

कृषि उपज मण्डी समिति ,काँगड़ा जिला काँगड़ा

पैरा "क"

(पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज मण्डी समिति,काँगड़ा के अवधि 4/85 से 3/15 तक के ,21 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 72 पैरे लम्बित थे। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारेहेतु वर्तमान सचिव द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । शेष 66 लम्बित पैरों में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में लाखों रुपयों की वसूलियां न करना ,ठेकेदारों को किए गए अनियमित भुगतानों ,दुकानों के किराये ,व विशेषकर दुकानों का आवंटन न करना,व्यापारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य करने व वास्तविक आबंटक के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने जैसे अतिगम्भीर मामलों व अन्य मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली करना शामिल है। अत:अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के वाबजूद ऐसी गम्भीर अनियमितताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाई न करना बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को भारी वित्तीय हानि उठानी पड सकती है क्यूंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। अत:वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाई करनी अति आवयश्क है जिसके लिए तुरन्त कार्यवाई करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना की सूचना समय-2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। शेष बचे ऑडिट पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/88

क्रम. सं	**पैरा सं**	**पैरे का विवरण**	**पैरे की स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	पैरा-9(XI)	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जैसे माप पुस्तिका,प्राकलन कम्पलीशन रिपोर्ट आदि को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-9(XII)	निर्माण कार्यों पर स्टील,सीमेंट,इंटों व रेत,बजरी की खपत बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/90

1.	पैरा-5(36)	गाड़ी सं .एच०पी०एम० 5152 द्वारा 11-2-1989 से 11-04-89 तक की गई निजि यात्रा (159 कि.मी.) के प्रभार की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-5(37)	निर्माण कार्यों के लिए किए गए भुगतानों से सम्बन्धित रिकॉर्ड को जाँच हेतु प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/91

1.	पैरा-6(16)	निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किए गए ₹83803/- के भुगतान के एवज में सम्बन्धित रिकॉर्ड को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रसुत न करना ।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/92

1.	पैरा-14	ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किए गए अधिक भुगतान की राशि ₹122397.00 की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/96

1.	पैरा-5(V)	31 मामलों में मण्डी शुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा-6(8)ग	न्यायालय के आदेशों के बाबजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी शुल्क न वसूलना	अनिर्णीत	
3.	पैरा-6(XXV)ख	मण्डी यार्ड के निर्माण के लिए समय बढोत्तरी बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-6(XXVI)ख	सब्जी मण्डी के लिए बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिए समय में बढोत्तरी बारे।	अनिर्णीत	
5.	पैरा-6(XXVIII)	दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी.सिंह ठाकुर को कार्य आबंटित/अवार्ड करने के मामले में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/99

1.	पैरा-11	₹239050/- के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रिकॉर्ड एवं इन कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण में जाँच न करवाना।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000

1.	पैरा-12(क)1 से 5	एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत	-------

2.	पैरा-15(1 व 2)	₹147057/- के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे। वांछित रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2003

1.	पैरा-10	₹220190/- के निर्माण कार्यो की AE &ES (प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति बारे)	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1.	पैरा-10	अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1.	पैरा-4	मण्डी शुल्क के रूप में ₹386828/- की कम वसूली करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -10	₹6804/- के भुगतान की स्वीकृति एवं एम०बी० व एम०ए०एस० में प्रविष्टियों बारे।	अनिर्णीत	
3.	पैरा-11	₹13975/- के भुगतान की स्वीकृति एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-14	₹522472/- के निर्माण कार्यो के कम्पलीशन सर्टिफिकेट व कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात निर्मित भवन को Handover करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1.	पैरा-13	कुल 98 व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -14	मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण में ढील बरतने बारे।	अनिर्णीत	
3.	पैरा-15 (ग)	मण्डी शुल्क की वसूली बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1.	पैरा-5	मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूध के आयात पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹9926/- की कम वसूली करने बारे।	अनिर्णीत	-------

2.	पैरा -7	मै० जितेन्द्र कुमार अजय कुमार शाहपुर से ₹6650/- की वसूली कर ली है लेकिन मै० पवन काजल ठेकेदार से ₹37258/- की वसूली शेष है जिसे तुरन्त करने के लिए आवयश्क पग उठाए जाए।	आंशिक अनिर्णीत
3.	पैरा-12	पुराने लाइसेंसों की नवीकरण में नियमों की अवहेलना बारे।	अनिर्णीत
4.	पैरा -13	कुल 47 व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के फलस्वरूप वर्ष 2006-07 के दौरान मण्डी शुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना।	अनिर्णीत
5.	पैरा-14(क)	मै० पंजाब हिमाचल फ्रूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत
6.	पैरा-14(घ)	लाइसेंस के रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत
7.	पैरा-14 (ड.)	किरायेदार व लाइसेंस के हस्ताक्षर बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1.	पैरा-11(क)	मण्डी शुल्क के रूप में ₹116344/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -11(ख)	मण्डी शुल्क के रूप में ₹73578 /- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	------------
3.	पैरा-12	मण्डी शुल्क के रूप में ₹45539/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	----------
4.	पैरा-18	मैसर्ज चैना राम सन्त राम से ₹23993/- न वसूलने बारे।	अनिर्णीत	--------
5.	पैरा -20	व्यापारियों का नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरण न करने बारे।	अनिर्णीत	
6.	पैरा -21 (ख,घ व च)	रिकॉर्ड का ऑडिट में न प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1.	पैरा-16	मण्डी शुल्क के रूप में ₹68894/- की वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वसूली करना ।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -22	ऑडिट में रिकॉर्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत	------------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1.	पैरा-15	आलू के व्यापरियों से ₹158247/- का कम मण्डी शुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -18	मै० तुली ऐग स्टोर काँगड़ा से बकाया मण्डी शुल्क की ₹529030/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	------------
3.	पैरा-21	मै० निखिल ट्रेड्स,दूध विक्रेता पालमपुर से बकाया मण्डी शुल्क के ₹55612/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	----------

4.	पैरा-22	मैसर्ज आदर्श मिल्क, दूध विक्रेता काँगड़ा से बकाया मण्डी शुल्क ₹79832/- वसूलने बारे।	अनिर्णीत	--------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011

1.	पैरा-9	दुकान आबंटन व किराया एग्रीमैंट से सम्बन्धित रिकॉर्ड न उपलब्ध करवाने बारे।	अनिर्णीत	-------
2.	पैरा -14	निलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	------------
3.	पैरा- 17	मै० तुली ऐग स्टोर काँगड़ा से कम्पाउन्ड शुल्क के रूप में ₹32400/ - की वसूली न करने बारे।	अनिर्णीत	----------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1.	पैरा-20 (क,ख)	ऑडिट में रिकॉर्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

.	पैरा -8	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम वसूली करना।	आंशिक निर्णित
2.	पैरा-12	मैसर्ज सोनम फ्रूट कम्पनी काँगड़ा के प्रोपराईटर/आबंटक को बदलने बारे।	अनिर्णीत
3..	पैरा -13	मण्डी समिति काँगड़ा की दुकान न० 07 के वास्तविक आबंटक बदलने बारे।	अनिर्णीत
4.	पैरा- 14	वास्तविक आबंटकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1.	पैरा-5(ख)	बैंक द्वारा सावधि जमा पर कम ब्याज देना।	अनिर्णीत
2.	पैरा-6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹781190/-के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में न प्रस्तुत करना।	अनिर्णीत
3.	पैरा -9	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹109700/-की कम वसूली न करना	अनिर्णीत
4.	पैरा -10	मैसर्ज पप्पू चिकन कार्नर काँगड़ा से कम्पाउन्ड शुल्क की ₹ 7410/- न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
5.	पैरा-11	मार्किट फीस के निर्धारण(असैसमेंट)करने बारे	अनिर्णीत
6.	पैरा-14	चैक पोस्टों की तिथि वार आयात-निर्यात विवरणियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णीत
7.	पैरा -15	स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015

1.	पैरा-3	ऑडिट फीस	निर्णीत	-------
2	पैरा-4	वित्तीय स्थिति	निर्णीत	
3.	पैरा-6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹3522902/-के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में न प्रस्तुत करना।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-7	दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹1524022 /-की वसूली न करने बारे	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है
5.	पैरा -8	मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित छ:कमरों के किराये की ₹515040/- की वसूली न करना।	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है
6.	पैरा -9	मै० हिमाचल फ्लोर मिल्स प्राइवेट लि० काँगड़ा से 20363/-से मण्डी शुल्क के कम वसूलना।	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
7.	पैरा -10	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹42216 /-की कम वसूली न करना।	अनिर्णीत	
8.	पैरा-11	विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में 27865/-की वसूली कम करना।	अनिर्णीत	
9.	पैरा -12	पंजीकृत कत्था व्यापारियों से बिना परमिट के मण्डी शुल्क वसूलना।	अनिर्णित	
10.	पैरा -13	किसान विश्रामगृह,ज्वालाजी,बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे।	अनिर्णित	
11.	पैरा-14	मार्किट फीस के निर्धारण(असैसमेंट)करने बारे	अनिर्णीत	
12.	पैरा-15	पंजीकृत व्यापारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना।	अनिर्णीत	
13.	पैरा-16	चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित सामान का मूल्य न दर्शाना।	अनिर्णीत	

14.	पैरा -17	पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ओ फार्म पर पूर्ण विवरण न दर्शाना।	अनिर्णीत	
15.	पैरा -18	अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियों बारे।	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरों की संख्या**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुसार अनिर्णीत पैरे	72
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)27
कुल पैरे	**99**
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	-
अन्त शेष (दिनांक 31-3-17 तक)	**93**